भाग IV
हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2010

संख्या :– 15–4–2010 तक संशोधित निम्नलिखित नियम, जन–सूचना हेतु निम्न अनुसार पुनः प्रकाशित किये जाते है :–

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964[1]

1. ये नियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 कहे जा सकते हैं।

परिभाषा ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्राय है, पंजाब ग्राम शामलात (विनियमन) अधिनियम, 1961 ;

(ख) "'प्ररूप" से अभिप्राय है, इन नियमों से साथ संलग्न प्ररूप ;

(ग) [2]["पंचायत समिति" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), के अधीन गठित तथा उक्त अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति ;]

(घ) 'सभा क्षेत्र' से अभिप्राय है [3][हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), की धारा 7] के अधीन सभा क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया क्षेत्र ;

(ङ) [4][लोप]

रीति जिसमें तथा प्रयोजन जिसके लिए शामलात देह उपयोग की जा सकती है। धारा 5 तथा 15(2)(क).

3. (1) अधिनियम के अधीन उसमें निहित शामलात देह में भूमि की भूमि उपयोग योजना तैयार करेगी । [5][उक्त योजना की तैयारी करने में सम्बद्व ग्राम पंचायत की सहायता करना खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी का कर्तव्य होगा]।

ऐसी योजना निम्नलिखित के अनुमोदन के अध्यधीन होगी–

(क) पंचायत समिति : जहां क्षेत्र 100 एकड से अधिक है किन्तु [6][1000] एकड से अधिक न हो]

(ख) [7][लोप]

(ग) सरकार : जहां क्षेत्र 1000 से अधिक है ।

[8][(2) अधिनियम या इन नियमों के अधीन विहित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन पंचायत अधिनियम के अधीन उसमें निहित शामलात देह में भूमि या तो स्वयं या किसी दूसरे के माध्यम से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों हेतु उपयोग कर सकती है:–

---

[1] प्रथम प्रकाशन – देखें अधिसूचना नं0 जी0एस0आर045/पी0ए018/61/515/64 दिनांक 3 फरवरी, 1964 पंजाब सरकार गजट विधायिका स्पलीमैंट भाग–II दिनांक 7 फरवरी, 1964.

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224/पी0ए018/61/एस.15 संशोधन (2)/76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा लोपित ।

[5] . हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0129/पी0ए018/61/धा0.15 संशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर 1979 द्वारा रखा गया ।

[6] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224/पी0ए018/61/एस.15 सशोधन (2)/76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा रखा गया ।

[7] उक्त अधिसूचना द्वारा लोपित ।

[8] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) पशु चरागाह ;

(ii) पौधारोपण या वानिकी से सम्बन्धित कोई अन्य प्रयोजन ;

(iii) चमड़े तथा खालों की रंगाई तथा शोधन ;

(iv) ईधन, चारा और/या अनाज के भण्डारण ;

(v) शमशान या कब्रिस्तान ;

(vi) खाद गढ्ढा ;

(vii) जन शौचालय, और/या पेशाब घर ;

(viii) नालियां या जलमार्ग ;

(ix) खेल के मैदान ;

(x) राजकीय स्कूल भवन तथा इसका पुस्तकालय ;

(xi) राजकीय अस्पताल या डिस्पैन्सरी, मातृत्व या प्राथमिक सहायता केन्द्र, पशु अस्पताल या डिस्पैन्सरी ;

(xii) कृषि तथा आनुषंगिक प्रयोजनों से सम्बन्धित वाहन पार्किंग ;

(xiii) पंचायत घर या जंज घर या ग्राम चौपाल ;

(xiv) तालाब तथा मछली पालन ;

(xv) कुएं, हैंडपम्प, जलघर, या कोई अन्य जलोतोलन यंत्र ;

(xvi) खलिहान ;

(xvii) कोल्हू ;

(xviii) कृषि ;

(xix) आदर्श फार्म, बीज फार्म, डेयरी फार्म, नर्सरी, बगीचा या कोई अन्य बागबानी प्रयोजन ;

(xx) खाद्य पदार्थ, रेशा या चारा फसलों की पैदावार ;

(xxi) स्टोन क्रेशर, ईन्ट भठ्ठे, मिट्टी के बर्तन, शोरा, रेता, पत्थर, कंकड़, बजरी या पंजाब लघु खनिज (रियायत) नियम, 1964 में परिभाषित अन्य खनिज के उत्खनन ;

(xxii) विशेष आर्थिक जोन परियोजनाएं और औद्योगिक विकास ;

(xxiii) सडकें, रास्ते, गलियां, वीथिका तथा उपविथिका ;

(xxiv) मनोरंजन पार्क, बच्चों के लिए पार्क तथा खेल स्टेडियम ;

(xxv) रिहायश;

(xxvi) गैर सरकारी संस्थाओं या व्यक्ति विशेश द्वारा स्थापित किए जाने वाले पुस्तकालयों सहित शैक्षणिक तथा ज्ञान केन्द्र ;

(xxvii) गैर सरकारी संस्थानों या व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित किये जाने वाले अस्पताल या डिस्पैन्सरी, मातृत्व या प्राथमिक सहायता केन्द्र, पशु अस्पताल या डिस्पैन्सरी ;

(xxviii) कोई अन्य निकट सम्बन्धी सामूहिक प्रयोजन :

परन्तु खण्ड **(xix)** से **(xxviii)** के अधीन वर्णित प्रयोजनों हेतु भूमि का प्रयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा ।**]**

(3) पंचायत समिति के अनुमोदन के अध्यधीन, पंचायत, पंचायतों के विकास के लिए स्थापित तथा तथा उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो में से किसी को करने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायत होते हुए किसी अन्य निकाय या निकायों, स्थानीय प्राधिकरण या किसी संस्था या संस्था की शाखा के साथ सायोजित हो सकती है।

[1][(4) यदि उपायुक्त द्वारा ऐसा परामर्श दिया जाए तो पंचायत गांव में कच्ची मिटटी को खोदने के लिए कुम्हारों के उपयोग के लिए पांच एकड़ से अनधि किसी क्षेत्र को, यदि उपलब्ध हो तो निर्धारित कर सकती है ।]

4. [2] [लोप]

भूमि का आदान–प्रदान। धारा 5 तथा 15(2)(च).

[3][5. पंचायत, यदि उसकी राय है कि गांव के निवासियों के लाभ के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया है तो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उपायुक्त जिसकी अधिकारिता में भूमि स्थित है, द्वारा निर्धारित किये जाने वाले समान मूल्य की भूमि से आदान–प्रदान द्वारा शामलात देह में किसी भूमि का अन्तरण कर सकती है :

परन्तु राज्य सरकार उन मामलों में कोई अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी जो सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं :

परन्तु यह और कि सम्बन्धित उपायुक्त अथवा उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक), जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अनुसूचित जातियों के परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को मकान स्थल आबंटित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अधीन पहचानित पात्र परिवारों को रिहायशी प्लाटों के आबंटन के प्रयोजन के लिए, समान मूल्य की भूमि से आदान प्रदान द्वारा, शामलात देह में किसी भूमि के अन्तरण के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम होगा।]

भूमि के पट्टे। धारा 5 तथा 15(2)(च).

[4][6. (1) इन नियमों में जहां अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, शामलात देह में भूमि के सभी पट्टे, उप–नियम (10) में अधिकथित रीति में प्रचार करने के बाद, नीलामी द्वारा होंगे । इस सम्बन्ध में निष्पादित सभी दस्तावेज सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में सरपंच के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे पंच तथा ग्राम पंचायत के दो अन्य पंचों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे ।

(2) शामलात देह में पहले से जोत के अधीन भूमि दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा जब वह भूमि जोत में नहीं है और वृक्षों, झाड़ियों इत्यादि से भरी है, का पट्टा पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये उच्चतम बोलीदाता को गांव के निवासियों के सर्वाधिक लाभ में साधारणतया अप्रैल या मई के महीने में दिया जाएगा । वार्षिक पट्टा धन राशि बोली के स्थान पर अदा की जाएगी और बाकी वर्षं का पट्टा, यदि कोई है, के लिए, वार्षिक पट्टा धन राशि प्रत्येक वर्ष अग्रिम में, फरवरी के बाद नहीं, अदा की जाएगी । नीलामी–

(क)(i) जहां एक सौ एकड़ से अनधिक रकबा है और नीलामी पर पट्टे की उच्चतम बोली अड़ोस पड़ोस में समान भूमिं के पिछले पांच साल के औसत पट्टा दर से कम है ; या

---

[1]. हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या डी0पी0एच0–एल0ए0–1–91/636, दिनांक 9 दिसम्बर, 1991 द्वारा जोडा गया ।

[2]. हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या जी0एस0आर052/पी0ए0 18/धा015/ सशोधन (1)/82, दिनांक 1 अप्रैल, 1982 द्वारा लोपित ।

[3] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) जहां एक सौ एकड़ से अधिक रकबा है, किन्तु एक हजार एकड़ से अनधिक है – पंचायत समिति ;

(ख) जहां एक हजार एकड़ से अधिक रकबा है – सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी :

परन्तु पट्टे की समाप्ति से पूर्व किए गए पट्टेदार के आवेदन पर, पंचायत, यदि समझती है कि पट्टे का नवीनीकरण अच्छी खेती कार्य के हित में है तथा सन्तुष्ट है कि पट्टेदार ने प्रतिदान द्वारा सुधार करके ऐसी भूमि को खेती कार्य योग्य बनाया है या कुआं खोदकर या पम्पिंग–सैट या टयूबवैल लगाकर या ऐसी भूमि पर पक्की संरचना करके सुधार किया है, तो दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए एक बार में पट्टे का नवीनीकरण कर सकती है :

परन्तु यह और कि ऐसी भूमि जिसके लिए पट्टा नवीनीकरण किया गया है, की वार्षिक पट्टा धनराशि अड़ोस–पड़ोस में उसी भूमि के बाजारी किराया मूल्य के आधार पर कलक्टर या उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी :

परन्तु यह और कि–

(क) किसी व्यक्ति को खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली शामलात देह में भूमि का अधिकतम क्षेत्र किसी भी समय दस एकड़ से अधिक नहीं होगा ;

(ख) पंचायत –

(i) दस एकड़ या अधिक की खेती जमीन रखने वाले ; या

(ii) किसी अन्य पंचायत के अधीन पहले ही पट्टा रखने वाले,किसी व्यक्ति को शामलात देह में भूमि खेती के लिए पट्टे पर नही देगी ;

(ग) खेती हेतु पट्टे पर दी जाने के लिए प्रस्तावित भूमि में से अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो तथा भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् किसी युद्ध में मारे गये सैन्य कार्मिक के आश्रितों के सदस्यों को क्रमशः तीस प्रतिशत, दस प्रतिशत, दस प्रतिशत नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए आरक्षित की जाएगी ;

व्याख्या.– यदि नीलामी हेतु नियत दो विभिन्न तिथियों, पर कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है या पंचायत समिति उप–नियम (2) के खण्ड(क) के उप–खण्ड **(i)** के अधीन नीलामी की पुष्टि करने से इनकार कर देती है, तो आरक्षण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा ;

(घ) खेती हेतु पट्टे पर दी जाने के लिए प्रस्तावित भूमि में से आवश्यकतानुसार पॉच एकड़ से दस एकड़ तक भूमि पशुओं के चरने तथा आराम करने के लिए आरक्षित की जाएगी, यदि ऐसे प्रयोजनों हेतु पहले से भूमि उपलब्ध नहीं है ; तथा

(ङ) कोई सरपंच या पंच या उसके परिवार का सदस्य जैसे पिता, दादा, माता, दादी, पत्नी/पति, पुत्र/पुत्री, दामाद, बहू, पौत्र/पौत्री, पड़पौत्र/पड़पौत्री या उस पर आश्रित किसी अन्य रिश्तेदार को नीलामी की बोली देने और शामलात देह में भूमि पट्टे पर लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(3) उसी गांव के कुम्हारों तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों को मैदानी ईंट भट्ठे लगाने के लिए एक एकड़ तक अकृषि योग्य भूमि एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष एक हजार रूपये की दर से पटटे पर आबंटित की जा सकती है ।

[1]{(3क) पंचायत ईंट भट्ठे की स्थापना हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए तथा नवीनीकरण करके एक बार में पांच वर्ष की और अवधि के लिए प्रति वर्ष प्रति एकड बीस

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ062/पं0अ018/1961/धा015/2009, दिनांक 15 अप्रैल, 2010 द्वारा जोड़ा गया ।

हजार रूपए की न्युनतम आरक्षित कीमत पर खुली नीलामी द्वारा अपनी अकृषि योग्य भूमि पट्टे पर दे सकती है :

परन्तु–

(i) पट्टा धनराशि में उत्तरोतर वृद्वि प्रत्येक पांच वर्ष के बाद पट्टा धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी ;

(ii) ईंट भटठा मालिक को चार फुट की गहराई से ज्यादा भूमि की खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी ;

(iii) पटटेदार अग्रिम में दो वर्ष के पट्टा धन के बराबर राशि धरोहर राशि के रूप में पंचायत को अदा करेगा, जो अन्तिम दो वर्षों की पटटा राशि के विरूद्ध समायोजित की जाएगी तथा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ;

(iv) पटटेदार प्राथमिक वार्षिक पटटा धनराशि बोली स्थान पर जमा करवायेगा, जिसमें असफल रहने पर नीलामी स्वतः रदद हो जायेगी ;

(v) पट्टेदार पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक पट्टा धन राशि देय तिथि को या से पूर्व जमा करवाएगा, वह ऐसी तिथि होगी जिसको वह भूमि का कब्जा लेता है, जिसमें असफल रहने पर पट्टा स्वतः रद्द हो जाएगा और प्रतिभूति जब्त हो जाएगी ; तथा

(vi) पटटेदार को पटटे पर दी गई भूमि को आगे उप पटटे पर देने का अधिकार नहीं होगा ।**}**

[1]**{**(4) ग्राम पंचायत, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पर्यावरण विभाग द्वारा प्रयोजन के लिये अधिसूचित क्षेत्र में या जिसके लिए हरियाणा राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने का इरादा रखता है, स्टोन क्रैशर स्थापित करने के लिये अपनी भूमि बीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वार्षिक आधार पर नीलामी द्वारा पट्टे पर दे सकती है । पटटे के निबन्धन तथा शर्ते जिसमें पट्टा धन राशि तथा पटटे पर देने का ढंग भी शामिल है, ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जाएं :**}**

परन्तु –

(i) पट्टे धन राशि में उत्तरोतर वृद्वि प्रत्येक तीन वर्ष के बाद प्रारम्भिक वार्षिक पट्टा धन राशि के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगी ;

(ii) कब्जा लेने से पूर्व अढाई वर्ष की प्राथमिक वार्षिक पट्टा धन राशि के बराबर राशि हरियाणा राज्य सहकारी बैंक में सावधि जमा रसीद प्रतिभू के रूप में ग्राम पंचायत के पक्ष में जमा करवाई जाएगी, जो उन्नीसवें तथा बीसवें वर्ष के पट्टे के विरूद्ध समायोजित की जाएगी ;

(iii) पट्टेदार प्राथमिक वार्षिक पट्टा धन राशि बोली स्थान पर जमा करवाएगा, इसमें असफल रहने पर नीलामी स्वतः रद्द हो जाएगी ; और

(iv) पट्टेदार पश्चात्वर्ती वर्षो के लिए वार्षिक पट्टा धन राशि देय तिथि को या से पूर्व जमा करवाएगा, वह ऐसी तिथि होगी जिसको वह भूमि का कब्जा लेता है, जिसमें असफल रहने पर आबंटन स्वतः रद्द हो जाएगा और प्रतिभू जब्त हो जाएगी ।

(5) पंचायत, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अवसंरचना सुविधाओं, लोकोपयोग स्वरूप की इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं, विशेष आर्थिक जोन परिजनाओं तथा औद्योगिक विकास या ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा, गांव समुदाय के लाभ के लिए अनुमोदित किए जाएं, अपनी भूमि तैंतीस वर्ष की अनधिक की अवधि और आगे तैंतीस वर्ष से

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ011/पं0अ018/1961/धा015/2009, दिनांक 23 जनवरी, 2009 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनधिक की अवधि के लिये नवीकरणीय हेतु आबंटन द्वारा पट्टे पर दे सकती है । पट्टे के निबन्धन तथा शर्ते जिसमें पट्टा धन राशि तथा पट्टे पर देने का ढंग भी शामिल है, ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित की जाएं :

परन्तु राज्य सरकार, किसी ग्राम पंचायत द्वारा शामलात देह में अधिकतम भूमि क्षेत्र जो पट्टे पर दिया जा सकता है विनिर्दिष्ट कर सकती है और आगे प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा गांव के निवासियों के हित में सामूहिक प्रयोजनों जैसे चरागाह, तालाब, श्मशान भूमि, खेल के मैदान इत्यादि के लिए रखा जाने वाला क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकती है ;

[1]{परन्तु यह और कि सम्बद्ध उपायुक्त, ग्राम पंचायत को एक एकड़ तक क्षेत्र की अपनी भूमि जिस पर अनधिकृत धार्मिक निर्माण 29 सितम्बर, 2009 से पूर्व किया जा चुका है, को पट्टे पर देने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा ।}

(6) प्रत्येक तालाब की नीलामी,–

(i) सिंघाड़ों के पौधारोपण के लिए प्रयुक्त, प्रतिवर्ष जुलाई मास में वार्षिक आधार पर की जा सकती है ; और

(ii) मछली पालन के लिए प्रयुक्त अधिमानतः सितम्बर मास में [2]{पांच} वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए की जा सकती है :

परन्तु किसी गांव में किसी एक समय पर कुल तालाबों में से आधे से अधिक पट्टे पर नही दिये जाएंगे ;

[3]{परन्तु यह और कि आरक्षित वार्षिक पट्टा कीमत प्रतिवर्ष प्रति एकड़ दस हजार रूपये से कम नही होगी ।}

(7) पंचायत, उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन से, प्रतिवर्ष अधिशेष तथा बेकार पेड़ नीलाम कर सकती है । शामलात देह में भूमि पर खड़े सभी पेड़ संख्या से चिह्नित किये जाएंगे और इस प्रकार चिह्नित पेड़ो की संख्या नीलामी नोटिस तथा विक्रय विलेख में विशेष रूप से वर्णित की जाएंगी ।

(8) पट्टे के प्रत्येक मामले में, पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा और यदि पट्टेदार किराये की अदायगी में चूक करता है तो वह उसको पट्टे पर दी गई भूमि का कब्जा पंचायत को सौंपेगा ।

(9) पंचायत, इस निमित्त पारित प्रस्ताव द्वारा, पंचायत समिति को इस में निहित शामलात देह में किसी भूमि के पट्टे की नीलामी, सौंप सकती है, जो पंचायत के खर्च पर उप–नियम (10) में विनिर्दिष्ट रीति में उचित प्रचार करने के बाद अपने कार्यकारी अधिकारी को नीलामी का संचालन करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकती है ।

(10)(क) पट्टा नीलामी कार्यक्रम का प्रचार पट्टे की नीलामी के लिए भूमि का विवरण, नियत तिथि, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए नीलामी की तिथि से पन्द्रह दिन पूर्व–

(i) किसी स्थानीय देशी भाषा के समाचार पत्र द्वारा तथा जहां पत्थर खदान, बजरी या अन्य लघु खनिजों या स्टोन क्रैशरों की स्थापना हेतु नीलामी की जानी हो, वहां व्यापक परिचलन अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा भी ;

(ii) पंचायत घर, गांव के पटवारखाना, पंचायत समिति के कार्यालयों के बाहरी दरवाजे पर तथा शामलात देह या सम्पदा जिस में शामलात देह स्थित है, के किसी अन्य सहजदृश्य स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रति चिपकाते हुए ; और

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ023/पं0अ018/1961/धा015/2010, दिनांक 25 जनवरी, 2010 द्वारा जोडा गया ।
[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ062/पं0अ018/1961/धा015/2010, दिनांक 15 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रातिस्थापित।
[3] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ062/पं0अ018/1961/धा015/2010, दिनांक 15 अप्रैल, 2010 द्वारा जोडा गया ।

(iii) सभा क्षेत्र में मुनादी द्वारा किया जाएगा ।

(ख) नीलामी के निबंधन तथा शर्ते नीलामी के समय घोषित की जाएंगी ।

(11)**(i)** पंचायत में निहित शामलात देह में किसी भूमि के पट्टे की नीलामी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी और उसकी असमर्थता की स्थिति में, खण्ड के किसी विस्तार अधिकारी की उपस्थिति में तथा के पर्यवेक्षणाधीन संचालित की जाएगी ।

(ii) प्रत्येक नीलामी सूचना की प्रति सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी को नीलामी की तिथि से पन्द्रह दिन पूर्व भेजी जाएगी ।

(iii) खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी या विस्तार अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक नीलामी, जिसके संबंध में खण्ड **(ii)** के अधीन उसको सूचना भेजी गई है, में स्वयं उपस्थित रहेगा ।

(12) पट्टा अवधि की समाप्ति पर, भूमि पंचायत को स्वतः प्रतिवर्तित हो जाएगी तथा पट्टा को समाप्त करने या उसका कब्जा लेने के लिए किसी विधि के अधीन अलग से कोई कार्यवाहियां अपेक्षित नहीं होगी । पंचायत, पटटे पर दिए गए परिसरों, उन पर निर्माण, यदि कोई हो, सहित, जिनके लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी, का कब्जा लेने के लिए सक्षम होगी ।**]**

पूर्वी पंजाब भू उपयोग अधिनियम, 1949 (1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 38) के अधीन पट्टेदारों को शामलात देह में भूमि को पट्टे पर देना। की धारा 5 तथा 15 (2)(च).

[1]**[**6क. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पूर्वी पंजाब भू–उपयोग अधिनियम, 1949(1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 38) के अधीन मूल पट्टेदारों या उनके विधिक वारिस, जो ऐसी भूमि के खेतीहर कब्जे में है, को 99 वर्ष तक की अवधि के लिए खेतीबाड़ी के प्रयोजनों हेतु अपनी भूमि पट्टे पर दे सकती है :

परन्तु निबन्धन तथा शर्ते जिन पर भूमि पट्टे पर दी जा सकती है, निम्न अनुसार होंगीः–

(i) पट्टेदार, अवधि जिसके लिए भूमि उनके प्रयोग तथा अनधिकृत कब्जे में रही थी, के निपटान के लिए, 2500/–रूपये प्रति एकड़ एकमुश्त भुगतान करेंगे;

(ii) पट्टेदार 1000/–रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रत्येक दस वर्ष के बाद 20 प्रतिशत बढौतरी के साथ पट्टा धनराशि के रूप में भुगतान करेंगे ;

(iii) पट्टेदारों को भूमि उप–पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा ;

(iv) पात्र व्यक्तियो को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित करेंगे ।**]**

सामूहिक खेती सहकारी समितियों को शामलात देह में भूमि को पट्टे पर देना । धारा 5 तथा 15(2)(च).

7. (1) अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अध्यधीन, जहां किसी गांव में शामलात देह का क्षेत्र 200 एकड या अधिक है, ऐसी भूमि गांव में पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1961 के अधीन गठित सामूहिक खेती सहकारी सोसाइटियां, यदि कोई है, को ऐसे निबन्धन तथा शर्तो पर, जिससे पंचायत सहमत हो, [2][पंचायत समिति] के अनुमोदन के बिना बोली के पट्टे पर दिया जा सकता है । जहां कहीं गांव में एक से अधिक सामूहिक खेती सहकारी सोसाइटियां हैं उन्हें शामलात देह की भूमि उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात अनुसार उनको पट्टे पर दी जा सकती है। पटटे की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] हरियाणा सरकार अधिसूचना नं0 जी0एस0आर090/पी0ए0 18/61/धा0 15/ संशोधन/70? दिनांक 24 जुलाई, 1970 द्वारा जोड़ा गया ।.

(2) ऐसे पट्टे सम्बन्धित [1][पंचायत समिति] की वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन होंगे ताकि अनुवर्ती घटनाओं जिससे भूमि का उर्वरापन या सुधार प्रभावित हुआ है, के कारण पंचायत या सोसाइटी को नुकसान न हो ।

(3) यदि किसी स्थिति में शामलात देह की भूमि को जोतने हेतु पंचायत ने ट्रैक्टर या अन्य उपकरण खरीदा हुआ है तो सामूहिक खेती सहकारी सोसाइटियां ऐसी मशीनरी या उपकरण को पंचायत तथा उक्त सोसाइटी द्वारा परस्पर सहमति अनुसार, ऐसे सुसंगत मूल्य या किराये , जैसी भी स्थिति हो, खरीद या किराये पर ले सकती है ।

(4) यदि सोसाइटी द्वारा ऐसी भूमि का प्रयोग कृषि या उससे जुड़े प्रयोयनों के अतिरिक्त किये जाने या पट्टे निबन्धन एवं शर्तो के उल्लघंन या ऐसी भूमि पर सोसाइटी के उप–विधि के अनुरूप सामूहिक तौर पर खेती न करने की दशा में पंचायत किसी मुआवजे के भुगतान के बिना भूमि को वापिस ले सकती है ।

(5) पट्टा धन सामूहिक खेती सहकारी सोसाइटियों द्वारा पट्टा राशि नियम 6 के उप–नियम (7) के खण्ड (क) तथा (ख) के प्रावधान अनुसार अग्रिम तौर पर भुगतान योग्य होगी।

पंचायत के हितों के लिए हानिकर विक्रय, दान, आदान–प्रदान, अन्तरण, अन्यसंक्रामण, पट्टा, संविदा तथा करार। धारा 5ख(2), 10क(2)(iii) तथा 15(2).

[2][7क. कोई विक्रय, दान, आदान–प्रदान, अन्तरण अन्यसंक्रामण, पट्टा, संविदा या करार पंचायत के हित के लिए हानिकर समझा जाएगा यदि,–

(i) यह पंचायत द्वारा पट्टे पर देने या विक्रय, दान, आदान–प्रदान, अन्तरण, अन्यसंक्रामण, संविदाएं तथा करार करने के लिए अधिकथित प्रक्रिया अपनाते हुए से अन्यथा प्रदान की गई है या किया गया है ; या

(ii) यह पंचायत की किन्हीं विकास स्कीमों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ; या

(iii) यह पंचायत को हानि पहुंचाती है या हानि पहुंचानें की संभावना है ; या

(iv) यह बेनामी है ; या

(v) यह गांववासियों के फायदे के लिए नहीं है ।]

धारा 10–क की उप धारा (5) के अधीन कलक्टर द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान का ढंग। धारा 10क(5), तथा 15(2)(ट).

[3][7ख. धारा 10–क की उप धारा (5) के अधीन कलक्टर द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति की राशि पंचायत सीधे आदाता को समुचित रसीद लेकर या मनीआर्डर कमीशन या अन्य खर्चे, यदि कोई हैं, निकालने के बाद मनीआर्डर द्वारा, यदि आदाता चाहता है, भुगतान करेगी :

(i) एकमुश्त, जहां मुआवजे की राशि एक सौ रूपये से अधिक नहीं है : तथा

(ii) तीन बराबर वार्षिक किश्तों में, जहां मुआवजे की राशि एक सौ रूपये से अधिक है ।]

निवासियों द्वारा शामलात देह का प्रयोग। धारा 5 तथा 15(2)(छ).

8. (1) पंचायत द्वारा लिखित में प्रस्ताव द्वारा चारागाह हेतु घोषित शामलात देह में भूमि गांव के निवासियों द्वारा :–

(क) चराई प्रयोजनो के लिए : या

(ख) पंचायत द्वारा अधिकथित शर्तों पर जंगल से सुखी ईधन–लकड़ी एकत्रित करने,

हेतु उपयोग की जा सकती है ।

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0224/पी0ए0 18/61/धा015/ संशोधन (2) /76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा 'जिला परिषद' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।.

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008 दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] नियम 7क तथा 7ख पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर044/पी0ए0 18/61/धा0 15 /(1) /65, दिनांक 4 मार्च, 1965 द्वारा जोड़े गये ।

(2) पंचायत की पूर्व अनुमति तथा इस द्वारा अधिकथित ढंग से आबादी देह के समीप खुले स्थानों को गांव के निवासियों द्वारा फसलों की गहाई हेतु उपयोग किया जा सकता है ।

[1](3) (लोप)

(4) पंचायत, यदि आवश्यक समझे, ऐसे नाममात्र शुल्क, जो उस द्वारा नियत किए जाएं, पर गांव निवासियों द्वारा गडढा खाद के प्रयोग हेतु उपयुक्त भूमि चिन्हित् कर सकती है :

परन्तु पंचायत अनुसूचित जाति या पिछडे वर्ग या किसी भूमिहीन मजदुर या किरायेदार को गरीबीं के आधार पर ऐसे शुल्कों के भुगतान से छूट दे सकती है ।

9. [2](लोप)

भूमि का निशुल्क प्रयोग। धारा 5 तथा 15(2)(छ).

10. पंचायत इसमें निहित शामलात देह की भूमि गांव निवासियों को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए निशुल्क प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है :–

(क) फसल या तालाब के किसी अन्य पौधों के ढेर हेतु:

(ख) [3](अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गो के सदस्यों या भारत की स्वतंत्रता के बाद किसी युद्व या आक्रमण विरोधी कार्यवाही में मारे गए या गम्भीर रूप से घायल तथा अपंग हुए सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को गरीबी के आधार पर वास्तविक मामलों में एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये अस्थाई रिहायशी प्रयोजनों के लिए ;)

(ग) अन्य किसी उपयुक्त सामान्य प्रयोजन।

जिन प्रयोजनों हेतु भूमि भाराक्रान्त की जा सकती है। धारा 5 तथा 15(2)(ट).

11. जिन प्रयोजनों हेतु भूमि भाराक्रान्त की जा सकती है। पंचायत उसमें निहित शामलात देह की भूमि को सरकार या सहकारी बैंक से ऐसी भूमि के सुधार या किसी अन्य विकास स्कीम के लिए [4](पंचायत समिति) की पूर्व स्वीकृति से भाराक्रान्त रख सकती है ।

प्रयोजन जिन के लिए भूमि बेची जा सकती है। धारा 5 तथा 1515(2)(च).

[5][12. (1) पंचायत –

[6]{(i) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर जो निम्नतम दरों से कम न हो, पर सम्बद्ध गांव के निवासियों या पंचायत समिति, जिला परिषद् या कोई सरकारी विभाग, सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यालय भवन के लिए शासकीय अभिकरण या सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों या बोर्ड या निगम द्वारा खर्च वहन करने योग्य घरों के निर्माण के प्रयोजन ;}

(ii) अवसंरचना सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, विशेष आर्थिक जोन परियोजनाओं तथा औद्योगिक विकास, लोकोपयोग स्वरूप की इकाइयों, जो राज्य सरकार द्वारा गांव के निवासियों के लाभ के लिए अनुमोदित की जाएं, की स्थापना के प्रयोजन हेतु बाजारी दर से कम दर पर नहीं;

(iii) गांव के निवासियों को, किसी व्यक्ति विशेष को 250 वर्ग गज से अनधिक आकार का प्लाट, आवास के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित निम्नतम दरों से कम नहीं, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिनियम के अधीन उसमें निहित शामलात देह में भूमि बेच सकती है :

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3जनवरी, 2008 द्वारा लोपित ।
[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3जनवरी, 2008 द्वारा लोपित ।
[3] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा लोपित ।
[4] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0224/पी0ए0 18/61/धा015/ संशोधन (2) /76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा 'जिला परिषद' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।.
[5] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2009, दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु खरीददार बिक्री तिथि से बीस वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले किसी अन्य रीति में जो भी हो, भूमि का विक्रय या निपटान नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि भूमि ग्राम पंचायत को प्रतिवर्तित हो जाएगी यदि यह जिस प्रयोजन के लिये बेची गई थी, से भिन्न के लिये उपयोग की जाती है :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, ऐसे विक्रय के लिए ऐसे अन्य निबन्धन तथा शर्तें, जो वह उचित समझें, अधिरोपित कर सकती है ।

(2) जहॉ उप–नियम (1) के अधीन शामलात देह में भूमि बेचना प्रस्तावित किया गया है, वहां पंचायत राज्य सरकार को उपायुक्त के माध्यम से भूमि बेचने के लिए प्रस्ताव करने वाले इसके सदस्यों के तीन–चौथाई बहुमत द्वारा पारित उनके प्रस्ताव की प्रति निम्न कथित करते हुए भेजेगी–

(क) विक्रय के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र तथा अवस्थिति ;

(ख) विक्रय से अनुमानित आय ;

(ग) पंचायत भूमि को क्यों बेचना चाहती है, के कारण तथा विक्रय से आय के उपयोग हेतु योजना ।

(3) शामलात देह में नीलामी द्वारा भूमि के विक्रय के लिए प्रचार, राज्य सरकार से अनुमोदन की प्राप्ति पर, नियम 6 के उप–नियम (10) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उपायुक्त द्वारा किया जाएगा जो यह भी निर्णय करेगा कि क्या भूमि एक या अधिक लॉट में बेची जाएगी और अधिकारी जो नीलामी के समय उपस्थित रहेगा :

परन्तु उप नियम (1) के खण्ड (i) तथा (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु शामलात भूमि की बिक्री को इस उप नियम में अन्तर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी ।

(4) ग्राम पंचायत, सम्बद्ध [1][राज्य सरकार] के पूर्व अनुमोदन से, गांव के निवासियों को, जिन्होनें 31 मार्च, 2000 को या इससे पहले अपने मकान निर्मित कर लिए है; जो यातायात में तथा आने जाने वालों के लिए कोई बाधा नहीं हैं, निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक खुले स्थान अथवा साथ लगते स्थान सहित अधिकतम 200 वर्ग गज तक शामलात देह में अपनी अकृषि योग्य भूमि कलक्टर दर से कम पर नहीं, बेच सकती है ।]

भूमि दान। धारा 5, 5क तथा 15.

[2][13. पंचायत–

(i) गांव के निवासियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आदर्श गांव योजना के अधीन मकान निर्माण, सार्वजनिक स्थानों के स्थापन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयोजन हेतु ; तथा

(ii) उनकी सेवाकाल के दौरान किसी युद्व या आक्रमण विरोधी कार्यवाही में गम्भीर रूप से घायल तथा अपंग हुए सुरक्षा बलों तथा पैरामिलटरी बलों के सदस्यों या मारे गए ऐसे सदस्यों के पर्याप्त रिहायशी आवास न रखने वाले आश्रित परिवारों को या गरीबी के आधार पर अनुसूचित जातियों या पिछडे वर्गो या आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के सदस्यों को 200 वर्ग गज की सीमा तक आवासीय प्रयोजनों हेतु, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिनियम के अधीन इसमें निहित शामलात देह में भूमि दान में दे सकती है :

परन्तु राज्य सरकार उन मामलों में कोई अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी जो सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं :

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ011/पं0अ018/1961/धा015/2009, दिनांक 23 जनवरी, 2009 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु यह और कि सम्बन्धित उपायुक्त अथवा उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक), जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अनुसूचित जातियों के परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को मकान–स्थल प्रदान करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीम के अधीन पहचानित पात्र परिवार को शामलात देह की भूमि में से 100 वर्गगज् का रिहायशी प्लाट, उपहार द्वारा, आबंटित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु समक्ष होगा ।]

[7]{दान की निबन्धन तथा शर्ते। } धारा 5 तथा 15(2)(च).

[1][13क. .– धारा 5क [2]**{और नियम 13}** के अधीन भूमि दान में देने के लिए निबन्धन तथा शर्ते निम्न अनुसार होंगी :–

(क) आदाता दान की तिथि से बीस वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व भूमि को विक्रय, पट्टे, रहन या किसी अन्य तरीके से निपटान नहीं कर सकता :

[3]{परन्तु आदाता मकान निर्माण के लिए ऋण लेने के प्रयोजन के लिए भूमि को [4](किसी अनुसूचित बैंक, हाउसिंग बोर्ड या सरकार) के पास रहन कर सकता है; }

(ख) आदाता दान की तिथि से [5]**(पांच)** वर्ष की अवधि के भीतर भूमि पर मकान निर्माण करेगा ;

(ग) आदाता भूमि का प्रयोग रिहायशी प्रयोजन हेतु करेगा तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं : और

(घ) आदाता की मृत्यु की दशा में, उसके वारिस अग्रलिखित शर्तो से बाध्य होंगे ।

(2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं निबन्धनों तथा शर्तो के उल्लघंन की दशा में, [6]**(सहायक, कलक्टर प्रथम ग्रेड),** आदाता को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने उपरांत, दान को रदद करेगा और दान में दी गई भूमि को वापिस लेगा । ऐसी अवस्था में आदाता उस द्वारा ऐसी भूमि पर किए गए किसी विकास या निर्माण के सम्बन्ध में किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा ।]

शामलात देह से हुई आय का उपयोग। धारा 9 तथा 15.

14. पंचायत द्वारा उसमें निहित शामलात देह की भूमि के प्रयोग तथा उपयोग से प्राप्त आय का उपयोग पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 में यथा अधिकथित गांव के निवासियों के लाभ के लिए तथा शामलात देह के सुधार, रख–रखाव और प्रबन्धन के लिए किया जाएगा।

धारा 3(2) के अधीन मुआवजे का भुगतान। धारा 3(2) तथा 15(2)(घ).

15. कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन मुआवजे का हकदार है, इन नियमों के लागू होने की तिथि से बारह मास की

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 152/पी0ए0 18/61/धा0 15/ सशोधन (1) /76, दिनांक 28 जून, 1976 द्वारा जोडा गया ।

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा जोड़ा गया।

[3] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर 242/पी0ए0 18/61/धा0/ 15/ सशोधन (3)/76, दिनांक 11 नवम्बर, 1976 द्वारा नियम 13–क के उपनियम (3) के साथ परन्तुक जोडा गया ।

[4] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 117/पी0ए0 18/61/धा0/15/संशोधन(1)/80, दिनांक 14 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

[5] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008 दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[6] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008 दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

7 हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008, दिनांक 3 जनवरी, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अवधि के भीतर, पंचायत द्वारा उसे देय मुआवजे की राशि के निर्धारण के लिए सहायक कलक्टर को आवेदन कर सकता है :

परन्तु सहायक कलक्टर, यदि वह सन्तुष्ट हो जाता है कि आवेदक को पर्याप्त कारण से समय पर आवेदन करने से रोका गया था, तो बारह मास की उक्त अवधि की समाप्ति के उपरांत आवेदन ले सकता है।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर सहायक कलक्टर पंचायत को नोटिस जारी करेगा और सुनवाई का अवसर प्रदान करने उपरांत तथा ऐसी जांच जो आवश्यक समझी जाये, करने उपरांत पंचायत द्वारा देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगा।

(3) जहां व्यक्ति या व्यक्तियों जो मुआवजे के हकदार कौन है, के बारे कोई विवाद है, तो [1](सहायक कलक्टर) ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि [2](सहायक कलक्टर) पाता है कि मुआवजे के लिए एक से अधिक व्यक्ति हकदार हैं, तो वह उस राशि को ऐसे व्यक्तियों में बांटेगा ।

(4) मुआवजे की राशि निम्न सिद्वान्तों के अनुसार निर्धारित की जाएगी :–

(क) यदि भूमि पंचायत द्वारा बेच दी गई है, तो भूमि के मुआवजे की राशि इस द्वारा खरीददार से प्राप्त राशि के बराबर होगी :

(ख) यदि पंचायत द्वारा भूमि का उपयोग इसके किसी प्रयोजन हेतु कर लिया गया है, तो मुआवजे की राशि का निर्धारण, उस गांव या [3][आस–पास के गांवों] में इसी स्वरूप तथा किस्म की भूमि से पिछले तीन वर्षो के दौरान विक्रय आगमों की औसत निकालकर और यदि उस गांव या [4][आस–पास के गांवों] में ऐसी कोई भूमि नहीं बेची गई है, तो यथोचित मूल्य जो निर्धारित किया जाये, के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु ऐसे मुआवजे का भुगतान यदि राशि 300/–रूपये से अधिक की है, तो छह बराबर वार्षिक किश्तों में की जाएगी ।

जहां पंचायत वाद चलाती है या उस पर प्रतिनिधि की हैसियत से वाद चलाया जाता है, की प्रक्रिया। धारा 15(2)(ज).

16. (1) कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज प्रस्ताव द्वारा पंचायत सरपंच या अन्य किसी पंच को पंचायत द्वारा या इसके विरूद्ध दायर किसी वाद को लड़ने के लिए नियुक्त करेगी। इस प्रकार किया गया सरपंच या पंच पंचायत की मोहर के अधीन सरपंच द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित प्रस्ताव की प्रति अन्य दस्तावेजों सहित न्यायालय में दायर करेगा।

(2) मामले की पैरवी में उपगत वास्तविक खर्च पंचायत की निधियों से प्रभार्य होगा ।

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0129/पी0ए018/61/धा0.15 संशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0129/पी0ए018/61/धा0.15 संशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0129/पी0ए018/61/धा0.15 सशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर 1979 द्वारा रखा गया ।

[4] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0129/पी0ए018/61/धा0.15 संशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर 1979 द्वारा रखा गया ।

(3) इस प्रकार नियुक्त किया गया सरपंच या पंच विशेष रूप से इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में पारित लिखित प्रस्ताव से पंचायत द्वारा पूर्व प्राधिकार [1](तथा सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की पूर्व अनुमोदन) के बिना पंचायत पर वाद चलाने वाले पक्षकार में समझौता करने के लिए या का दावा स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं होगा । यदि धोखे, गलतब्यानी, तथ्यों को छुपाने या विरोधी पक्षकार के साथ मिलीभगत करने के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा कोई डिक्री या आदेश पारित किया जाता है तो पंचायत को पहुंचाए गए नुकसान के लिए सरपंच या पंच व्यक्तिगत रूप से दायी होंगे।

ढंग तथा प्राथमिकता–क्रम जिसमें धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन कलक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि का उपयोग किया जाना। धारा 5(1) तथा 15(2).

17. (1)(i) गांव में भूमिहीन किरायेदार तथा अन्य बेदखल किए गए या बेदखल किये जाने वाले किरायेदार इस प्रयोजन के लिए चिन्हित शामलात देह के अतिरिक्त क्षेत्र के आबंटन के लिए प्रत्येक वर्ष, अक्तूबर के बाद नहीं, पंचायत को आवेदन करेंगे । ऐसे आवेदन–पत्रों की पंचायत द्वारा लिखित में पावती दी जाएगी तथा किरायेदारों के रजिस्टर में इन्द्राज किया जाएगा ।

(ii) पंचायत [2][सम्बन्धित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की सहायता से]प्रत्येक वर्ष जनवरी के मास में किरायेदारों को अतिरिक्त क्षेत्र के आबंटन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी और इस प्रस्ताव को पंचायत समिति के माध्यम से कलक्टर को अनुमोदन के लिए भेजेगी । कलक्टर साधारणतया पंचायत के प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा। जहां तथापि, शिकायतें हैं, वहां कलैक्टर प्रस्ताव को संशोधित कर सकता है या पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पंचायत को वापिस कर सकता है ।

(iii) जहां पंचायत के पास अतिरिक्त भूमि से ज्यादा किरायेदार हैं वहां अधिमान आदेश, जिसमें आवेदन पुनर्वास के लिए किए गए थे, द्वारा निर्धारित किया जाएगा और जहां आवेदन एक साथ दिए गए थे प्राथमिकता लाटरी द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(2)(i) शामलात देह के शेष अतिरिक्त क्षेत्र के वितरण हेतु, आवेदन, यदि कोई हो, पंचायत द्वारा ऐसे क्षेत्र के निर्धारण की तिथि से एक मास के भीतर, पंचायत को किए जाएंगे ।

(ii) ऐसे आवेदन–पत्रों की पंचायत द्वारा पावती दी जाएगी तथा इस प्रयोजन हेतु रखे जाने वाले रजिस्टर में इन्द्राज किया [3][जाएगा] ।

(iii) पंचायत इस निमित्त अतिरिक्त क्षेत्र की अधिसूचना के दो मास के भीतर प्रस्ताव पंचायत समिति के माध्यम से कलक्टर को प्रस्तुत करेगी ।

(iv) यदि जहां शेष अतिरिक्त क्षेत्र की मांग कुल उपलब्ध क्षेत्र से ज्यादा हो जाती है, तो वहां प्राथमिकता सबसे छोटे भूमि मालिक को दी जाएगी तथा समान क्षेत्र की दशा में प्राथमिकता का निर्णय लाटरी द्वारा किया जाएगा ।

(3) यदि किरायेदार या लघु भू–मालिक उसे आबंटित क्षेत्र का कब्जा आबंटन की तिथि से छह मास के भीतर नहीं लेता है तो आबंटन निष्क्रिय हो जाएगा तथा वह

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ074/पी0ए0 18/61/धा0 15 /99, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा रखा गया ।

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0129/पी0ए018/61/धा0.15 संशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर 1979 द्वारा रखा गया ।

[3] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0129/पी0ए018/61/धा0.15 सशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।

क्षेत्र अन्य किरायेदार या लघु भू–मालिक, जैसी भी स्थिति हो, के पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा ।

अतिरिक्त क्षेत्र का सीमांकन। धारा 5(2) तथा 15(2)(ञ)(ठ).

18. (1) अधिनियम की धारा 5 के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र रखने वाली पंचायत अपने नियंत्रण के अधीन रखे जाने वाले तथा गांव के भूमिहीन किरायेदारों और अन्य बेदखल किए गए या बेदखल किये जाने वाले किरायेदारों या लघु भू–मालिकों के बीच बांटे जाने वाले क्षेत्र के बारे सम्बन्धित पटवारी को सूचित करेगी ।

(2) पटवारी इस प्रकार अधिसूचित भूमि के सभी विवरण प्रमाणित करने के बाद भूमि की विस्तृत ब्यौरे देते हुए दोहरी प्रति में सूची सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड को भेजेगा, जो विवरण की एक प्रति रखेगा तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित कलक्टर को प्रेषित करेगा जो ऐसे अधिकारी जो सहायक कलक्टर द्वितीय ग्रेड की पदवी से नीचे का न हो द्वारा अतिरिक्त क्षेत्र के सीमांकन बारे आदेश पारित करेगा।

शामलात देह पर अनाधिकृत कब्जा। धारा 7 तथा 15(ट).

19. अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजनों हेतु किसी व्यक्ति का शामलात देह की किसी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा समझा जाएगा .–

(क) जहां उसने अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में पंचायत द्वारा पट्टा आबंटन या अनुदान के अधीन या [1][के] अनुसरण में अन्यथा कब्जा कर रखा है ; या

(ख) जहां वह आबंटिती, पटटेदार या अनुदान–ग्राही होते हुए उसके आबंटन, पट्टा या अनुदान उसमें इस बारे निबन्धनों के अनुसार अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में समाप्त या रदद होने के कारण शामलात देह की ऐसी भूमि पर कब्जा करने या रखने की पात्रता समाप्त हो गई है ; या

(ग) जहां अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में शामलात देह की किसी भूमि पर कब्जा रखने के लिए अधिकृत व्यक्ति ने .–

(i) आबंटन, पट्टा या अनुदान के निबन्धनों के उल्लंधन में पंचायत या शामलात देह की ऐसी समस्त भूमि या उसके किसी हिस्से को ऐसे आगे किराये पर देने की अनुमति देने में सक्षम किसी अन्य प्राधिकारी की अनुमति के बिना आगे किराये पर दे दिया है ; या

(ii) अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों जिनके अधीन वह शामलात देह की ऐसी भूमि का कब्जा रखने के लिए अधिकृत है, में से किसी के उल्लघंन में अन्यथा कार्य किया है ;

व्याख्या .– व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण में कि उसने कोई किराया अदा किया है, खंड (क) के प्रयोजनो हेतु उसे आबंटिती, पट्टेदार या अनुदान–ग्राही के रूप में काबिज नहीं समझा जाएगा ।

बेदखली आदेश के विरूद्व कारण बताओ नोटिस जारी करना। धारा 7 तथा 15(2)(ट)(ठ).

20. (1) यदि सहायक कलैक्टर प्रथम ग्रेड की राय हैं कि उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित शामलात देह की भूमि में किसी व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा या हित–दावा है और कि वे

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0129/पी0ए018/61/धा0.15 संशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर, 1979 द्वारा रखा गया ।

बेदखल होने चाहिए, वह इसमें, इसके बाद उपबंधित रीति में सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को लिखित में कारण बताओ नोटिस देते हुए कि क्यों न बेदखली का आदेश किया जाना चाहिए ।

(2) नोटिस –

(क) उन आधारों को विनिर्दिष्ट करेगा जिन पर बेदखली आदेश प्रस्तावित किया जाना है ; और

(ख) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों, अर्थात् सभी व्यक्ति जिसका शामलात देह की भूमि पर कब्जा या हित–दावा है या हो सकता है, का प्रस्तावित आदेश, यदि कोई है, के विरूद्व नोटिस में तिथि जो इसके जारी होने की तिथि से 10 दिन पहले की नहीं होगी, द्वारा कारण बताने के लिए जारी करना आवश्यक होगा।

(3) सहायक कलक्टर पंचायत घर या पंचायत द्वारा कार्यालय के तौर पर प्रयुक्त किसी अन्य भवन के बाहर [1](किसी सह्जदृश्य स्थान पर) तथा क्षेत्र जिसमें शामलात देह की भूमि स्थित है, के सह्जदृश्य स्थानों पर नोटिस लगवाएगा। जिस उपरांत नोटिस सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सम्यक् रूप से दिया गया समझा जाएगा ।

[2](4) जहां सहायक कलक्टर जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई व्यक्ति शामलात देह की भूमि पर काबिज है तो उप नियम (3) के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को नोटिस की प्रति वितरित करेगा या किसी व्यक्ति द्वारा भिजवाएगा या [3](पावती के साथ पंजीकृत डाक) द्वारा भेज सकता है ।

अनाधिकृत व्यक्तियों की बेदखली। धारा 7 तथा 15(2)(ट).

21. (1) यदि, नियम 20 के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद तथा कोई साक्ष्य जो वह उसी के समर्थन में प्रस्तुत कर सकता है तथा उसे युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद सहायक कलक्टर की सन्तुष्टि हो जाती है कि शामलात देह की भूमि अनाधिकृत कब्जे में है, तो सहायक कलक्टर इस प्रयोजन के लिए नियत की जाने वाली तिथि को उसमें अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए बेदखली आदेश, इस निर्देश के साथ कि शामलात देह की भूमि, सभी व्यक्तियों जो उस पर या उसके किसी भाग पर अनाधिकृत काबिज हैं, द्वारा खाली की जाएगी, पारित कर सकता है तथा आदेश की प्रति पंचायत घर के बाहरी दरवाजे पर शामलात देह या क्षेत्र जिसमें शामलात देह की भूमि स्थित है, के कुछ सहजदृश्य स्थानों पर चस्पांई जाएगी ।

(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली आदेशों की इसके प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर पालना करने से इन्कार करता है या असफल रहता है तो कलक्टर या इस निमित्त उस द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी उस व्यक्ति को शामलात देह की भूमि से बेदखल कर सकता है तथा से कब्जा ले सकता है तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का, जो आवश्यक हो, प्रयोग कर सकता है ।

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी या कलक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील। धारा 7(4), 10क, 13क, 13कक तथा 15.

[4](21–क कलक्टर या आयुक्त को अपील करने के लिए ज्ञापन के साथ आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है की अनुप्रमाणित प्रति लगाई जाएगी तथा निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा –

(क) आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है के विवरण ;

(ख) अपील के आधार ; तथा

(ग) मांगे गए उपचार ।)

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर06 पी0ए018/61/धा0.15 सशोधन (1)/77 दिनांक 7 जनवरी, 1977 द्वारा रखा गया ।

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0 224/पी0ए0 18/61/धा0 15/ संशोधन (2) 76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0129/पी0ए0 18/61/धा0 15 संशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224/पी0ए018/61/एस.15 सशोधन (2) 76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा रखा गया तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या का0आ03/पं0अ018/1961/धा015/2008 दिनांक 3 जनवरी द्वारा आगे प्रतिस्थापित ।

प्ररूपों का अनुरक्षण। अधिनियम की धारा 5 तथा 15(2)(ग).

22. पंचायत शामलात देह की भूमि के प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित वर्णित प्ररूपों के अधीन अनुरक्षण करेगी :–

(i) शामलात देह ब्यौरा रखने वाला (परूप–I) ।

(ii) शामलात देह ब्यौरा रखने वाला नक्शा ।

(iii) किराये या पट्टे इत्यादि के लिए करार रजिस्टर (प्ररूप– II) ।

(iv) किराये तथा प्राप्तियों के लिए लेखा बही (प्ररूप III) ।

(v) किरायेदारों का रजिस्टर (प्ररूप IV) ।

(vi) पटटेनामा का प्ररूप (प्ररूप V) ।

23. निरसन.– पंजाब सरकार, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या 5557–आर (सी)–54–216, दिनांक 18 फरवरी, 1955 द्वारा प्रकाशित पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1955 तथा पैप्सु सरकार, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या 6–कृषि, दिनांक 15 अक्तूबर, 1955 द्वारा प्रकाशित पैप्सु ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1955, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं ।[1][:]

परन्तु [2][इस प्रकार] निरसित नियमों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या किया गया कोई आदेश इन नियमों के तत्सम्बन्धी उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या किया गया कोई आदेश समझा जाएगा।

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0129/पी0ए0 18/धा0 15 संशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित .

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0129/पी0ए0 18/धा0 15 संशोधन (1)/79, दिनांक 29 नवम्बर, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित .

परूप 1

[1][(देखिए नियम 22)]

शामलात देह ब्यौरा रखने वाला रजिस्टर

ग्राम पंचायत का नाम ——————————

तहसील तथा जिला——————————

क्रंम0संख्या	भूमि का ब्यौरा	भूमि में उगाऐ पेड़ो की संख्या	पट्टे बिक्री पर दी गई भूमि का ब्यौरा	पटटे अविध जिसके लिए पट्टा निर्गीत किया गया है या विक्रय शर्ते	पटटे या विक्रय आगमों की कुल राशि
1	2	3	4	5	6

पट्टा विक्रय [2][धन या] आगमों से एकत्रित राशि	बकाया	पटटे या बिक्री पर किसे दिया गया	सरपंच के हस्ताक्षर	पट्टेदार / खरीददार के हस्ताक्षर	टिप्पणी
7	8	9	10	11	12

प्ररूप II

[3] [(देखिए नियम 22)]

पट्टे के लिए करार रजिस्टर

ग्राम पंचायत का नाम ——————————

तहसील तथा जिला——————————

——————————————————————————————————

क्रम संख्या	नीलाम की जाने वाली भूमि का ब्यौरा	बोलीदाताओ के नाम तथा पता	अन्तिम बोली	बोलीदाताओं के हस्ताक्षर	नीलामीकर्ता के हस्ताक्षर	सरपंच के हस्ताक्षर	नकदी में प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224 / पी0ए018 / 61 / एस.15 संशोधन (2) / 76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा रखा गया ।

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224 / पी0ए018 / 61 / एस.15 सशोधन (2) / 76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा रखा गया ।

[3] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224 / पी0ए018 / 61 / एस.15 सशोधन (2) / 76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा रखा गया ।

प्ररूप–III

[1] [(देखिए नियम 22)]

किराये तथा प्राप्तियों का रजिस्टर

ग्राम पंचायत का नाम ————————

तहसील तथा जिला————————

क्रम संख्या	फाईलों की संख्या	खेतों का क्षेत्रफल	किरायेदारों के नाम	नियत दर	बकाया किराया	वसूली योग्य कुल राशि	वसूल की गई राशि	प्राप्ति संख्या तथा दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप IV

[2] [(देखिए नियम 22)]

किरायेदारो का रजिस्टर

क्रम संख्या	धारा 5 के अधीन पंचायत के पास अतिरिक्त क्षेत्र	उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने अतिरिक्त क्षेत्र के आबंटन के लिए आवेदन किया है ।	उन व्यक्तियों के नाम जिन्हे अतिरिक्त क्षेत्र आबंटित किया गया है ।	किरायेदारी इत्यादि की शर्ते	बिलेख की तिथि
1	2	3	4	5	6

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224/पी0ए018/61/एस.15 संशोधन (2)/76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा रखा गया ।

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224/पी0ए018/61/एस.15 सशोधन (2)/76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा रखा गया ।

प्ररूप V

[1] [(देखिए नियम 22)]

पट्टे का यह विलेख एक पक्ष में पंचायत ———————— (इसमें, इसके बाद, इसे 'पटटाकार' कहा गया है) तथा दूसरे पक्ष में श्री ———————— पुत्र ———————— निवासी गांव————————, तहसील ———————— जिला ————————(इसमें, इसके बाद, इसे 'पटटेदार', जिसमें उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, उतराधिकारी तथा समनुदेशिती के पद भी शामिल है अभिव्यक्त किया गया है) के बीच दिनांक ——————— को किया गया ।

और, चूंकि पट्टाकार किराये पर देने के लिए सहमत है तथा पटटेदार भूमि जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है और [2](पट्टे) पर दी जानी आशयित है, को निम्न अनुसार निबन्धनों तथा शर्तो के अध्यधीन लेने के लिए सहमत है ।

अब, इसलिये, यह विलेख साक्षी है कि पट्टाकार तहसील, जिला ———— के गांव ————— में स्थित खसरा नम्बर से सम्बन्धित भूमि रकबा तादादी ————बीघा बिसवा टुकडे का पट्टेदार को बोली द्वारा पटटा पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के अनुसार तथा निम्न शर्तो के अध्यधीन देती है :–

(1) पट्टेदार उपरोक्त भूमि को खरीफ/रबी से आरम्भ होकर ——— वर्ष की अवधि के लिए ——— रूपये प्रति बीघा/ एकड के वार्षिक किराये पर लेता है । पट्टेदार ने ——— रूपये अग्रिम में अदा कर दिए हैं तथा प्रथम वर्ष के लिए ———— रूपये पट्टाकार को अदा करेगा और उसके पश्चात् ———— रूपये वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष फरवरी मास में अग्रिम में अदा करेगा ।

(2) कि पटटेदार उक्त भूमि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में देय का

(क) पूर्ण निर्धारण, उप कर, पानी दर, और तत्समय लागू किसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाये गये अन्य प्रभार, अदा करेगा ;

(ख) पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के अनुसार पट्टा धन राशि अदा करेगा ।

(3) कि पटटेदार पटटे पर दी गई भूमि या उस पर बने भवन या उसके किसी भाग को किसी तरह समनुदेशित, स्थानांतरित, गिरवी या उप–किराए पर नहीं देगा ।

(4) कि पटटेदार भूमि का प्रयोग केवल अनाज, रेशा या चारा फसलें कृषि जोत के विकसित तरीकों के अनुसार उपजाने के लिए करेगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

(5) कि पट्टेदार पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में झाडियां हटाने, खेतों को समतल करने, खालों की सफाई करने, बांध बनाने, जल मार्गो से कीचड साफ करने इत्यादि के लिए जिम्मेवार होगा ।

(6) कि कृषि जोत से सम्बन्धित सभी मामले अर्थात् जुताई करने, बुआई करने, सिंचाई करने, फसल बोने, खुदाई करने, खाद डालने, उर्वरकों तथा कीट नियंत्रकों का प्रयोग करने, इत्यादि कृषि विभाग द्वारा सिफारिश तथा विस्तार अधिकारी (कृषि), क्षेत्र के वी0एल0डब्ल्यु0 के निर्देशों तथा मार्ग दर्शन अनुसार किये जायेंगे ।

(7) कि पटटेदार बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि का पूर्ण खर्च वहन करेगा ।

(8) कि पट्टेदार फसल, बाढ, पेडों तथा भूमि पर अन्य आवश्यक संपत्ति की देखभाल करेगा ।

---

[1] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224/पी0ए018/61/एस.15 संशोधन (2)/76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा रखा गया ।

[2] हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या नं0 जी0एस0आर0224/पी0ए018/61/एस.15 सशोधन (2)/76, दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 द्वारा रखा गया ।

(9) कि पट्टेकार को पट्टेदार की समस्त पैदावारी या उसके किसी भाग को बीज प्रयोजन के लिए वर्तमान बाजारी दर पर खरीदने या आदान–प्रदान करने का अधिकार होगा।

(10) कि पटटेदार को सिंचाई विभाग के विनियमों का पालन करना होगा, जिसकी चूक की दशा में, उक्त विभाग के प्राधिकारियों द्वारा पानी बेकार करने के लिए लगाया गया जुर्माना उसे अदा करना होगा ।

(11) कि पट्टेदार प्रति हल दो दुधारू पशु तथा दो बछड़े रख सकता है । फार्म पशुओं के मूत्र तथा गोबर इत्यादि को क्षेत्र के विस्तार अधिकारी (कृषि) के अनुदेशों के अधीन गढ्डा खाद में रखना होगा ।

(12) कि पट्टा अवधि के दौरान पट्टेदार अपना निवास स्थान साधारणतया ———— में रखेगा तथा सरपंच की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर निवास नहीं करेगा ।

(13) कि यदि पट्टेदार अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो पटटेकार को यह कर्त्तव्य उसके (पट्टेदार के) खर्चे पर पूरा करवाने का अधिकार होगा ।

(14) कि पट्टेकार को किसी हानि जो उपरोक्त में से किसी शर्त की उस द्वारा पालना न करने के कारण हुई हो, की क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार होगा ।

(15) कि पट्टेदार की मृत्यु की दशा में, पटटा अवधि की समाप्ति तक उसके वारिस को किरायेदारी जारी रखी जाने की अनुमति होगी । पट्टेदार द्वारा अपनी इच्छा से पट्टे की समाप्ति से पूर्व भूमि छोड़ने की दशा में वह फसल से उसके अधिकार को खो देगा और ऐसी जब्ती के कारण किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा ।

(16) कि उक्त अनुसार शर्तो में से किसी शर्त जो उस द्वारा ग्रहण या पूरी की जानी थी, को पट्टेदार द्वारा भंग करने की स्थिति में पटटेकार या उस द्वारा इसके लिए अधिकृत व्यक्ति पटटे को समाप्त कर सकता है और पटटे पर दिए गए क्षेत्र में पुनः प्रवेश कर सकता है और ऐसी स्थिति में, पट्टेदार किसी प्रकार के मुआवजे का हकदार नहीं होगा ।

(17) कि यदिं पट्टेदार किराया देने या भूमि जोतने में असफल रहता है तो वह प्रश्नगत भूमि का कब्जा पंचायत के सरपंच (पटटेकार) या पटटेकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंपेगा । पटटेदार पटटे की समाप्ति पर भूमि खाली करके कब्जा पटटेकार को देगा ।

(18) कि यदि इसके पक्षकारों के बीच इस पट्टे की लम्बित अवधि के दौरान इस पट्टे के सम्बन्ध में किसी मामले या वस्तु या उसके निबन्धनों बारे कोई भेद या विवाद पैदा होता है, तो ऐसा भेद या विवाद सम्बन्धित जिले के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम तथा निर्णायेक होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

(19) इसके साक्ष्य में इस के पक्षकारों ने क्रमशः इसमें इसके बाद वर्णित तिथियों को निम्ननुसार ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

गवाह

पटटेदार के हस्ताक्षर
राजस्व टिकट, जमानत इत्यादि

गवाह

पंचायत की ओर से सरपंच/पंच के हस्ताक्षर

पी0राघवेन्द्रा राव,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग ।